

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 2-6/2014/अ-ग्यारह

भोपाल, दिनांक: २१ /७/२०१४.

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
समस्त विभाग, मंत्रालय,  
भोपाल

विषय:- विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण ।

राज्य शासन द्वारा एतद् आदेश से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को छोड़कर वर्तमान में प्रदेश में संचालित "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना", "दीनदयाल रोजगार योजना", "रानी दुर्गावती अजा/अजजा स्वरोजगार योजना", "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना", "मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना", "अंत्योदय स्वरोजगार योजना", "मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना", "माटी कला योजना", "टंट्या भील स्वरोजगार योजना", "मुख्यमंत्री साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना", "मुख्यमंत्री हाथठेला चालक योजना", "मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर कल्याण योजना" एवं "मुख्यमंत्री केश शिल्पी योजना" सहित स्वरोजगार की सभी योजनाएं निम्नानुसार 3 योजनाओं में समाहित की जाती हैं :-

1.1 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना अंतर्गत उद्यमी के प्रशिक्षण का भी प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

(i) परियोजना लागत :- रूपये 10 लाख से रूपये 01 करोड़ तक

(ii) पात्रता :-

- |                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| (क) आयु              | - | 18 - 40 वर्ष                 |
| (ख) शैक्षणिक योग्यता | - | न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण |
| (ग) आय सीमा          | - | कोई बंधन नहीं                |

(iii) वित्तीय सहायता :-

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| (क) मार्जिन मनी सहायता | - | परियोजना के पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रु 12 लाख) |
|------------------------|---|---|

- (ख) ब्याज अनुदान - पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक
- (ग) गारंटी फीस (सी.जी.टी.) - प्रचलित दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक इस योजनांतर्गत व्यापारिक गतिविधियां पात्र नहीं होगी।

(iv) उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

### 1.2 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान विभिन्न विभागों के लिए समान रहेंगे। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे:-

- (i) परियोजना लागत:- रूपये 20 हजार से रूपये 10 लाख
- (ii) पात्रता :-
- (क) आयु - 18-45 वर्ष
- (ख) शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण (स्वप्रमाणीकरण के आधार पर)
- (ग) आय सीमा - कोई बंधन नहीं
- (iii) वित्तीय सहायता :-
- (क) मार्जिन मनी सहायता - (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1 लाख
- (ब) बीपीएल/अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/ अल्प संख्यक/ निःशक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2 लाख
- (ख) ब्याज अनुदान - 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक, अधिकतम रूपये 25,000 प्रतिवर्ष
- (ग) गारंटी फीस (सी.जी.टी.) - प्रचलित दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक

### 1.3 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

इस योजना के अन्तर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा/या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

(i) परियोजना लागत :-	अधिकतम रूपये 20,000
(ii) पात्रता :-	
(क) आयु -	18 - 55 वर्ष
(ख) शैक्षणिक योग्यता -	कोई बंधन नहीं
(ग) आय श्रेणी -	बी.पी.एल. (केश शिल्पी, स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार आदि)
(iii) वित्तीय सहायता :-	
(क) मार्जिन मनी -	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत
(ख) सहायता -	अधिकतम रूपये 10,000


2. प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जावे तथा तदनुसार ही लक्ष्य का निर्धारण किया जावे। विभागों का प्रयास रहे कि औसत प्रति हितग्राही पूंजी निवेश, योजनाओं की परियोजना लागत की अधिकतम राशि के 50 प्रतिशत से अधिक रहे।

3. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जावे। इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

4. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए प्रशासकीय विभाग तथा स्वरोजगार योजनाओं के समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु नोडल विभाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(अनुपम राजन)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,


वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ०क्र०: एफ 2-6/2014/अ-ग्यारह

भोपाल, दिनांक: २१/7/2014.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, भोपाल
5. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं वांछित कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6. समस्त सम्भागायुक्त, मध्यप्रदेश
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ, भोपाल  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(अनिल भारतीय)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक २१/08/2016

क्रमांक: एफ 2-2/2016/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2-6/2014/अ-ग्यारह, दिनांक 21.07.2014 से जारी योजनाओं में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

- 1 (अ) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बिन्दु 1.2(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :-
  - (i) परियोजना लागत - रुपये 50 हजार से रुपये 10 लाख तक।
- (ब) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत बिन्दु 1.3(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :-
  - (i) परियोजना लागत - अधिकतम रुपये 50 हजार
- (स) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बिन्दु 1.3(iii) वित्तीय सहायता अन्तर्गत (क) मार्जिनमनी एवं (ख) सहायता में निम्नानुसार बिन्दु प्रतिस्थापित किये जायें :-
  - (iii) वित्तीय सहायता :-
    - (क) मार्जिनमनी - (अ) सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत
    - (ब) बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर)/ महिला/ निःशक्तनजन हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत
    - (ख) सहायता - अधिकतम रुपये 15 हजार
- (द) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बिन्दु क्रमांक 1.3(ii)(ग) में "बीपीएल" के स्थान पर "राष्ट्रीय खाद्यान मिशन के अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी)" प्रतिस्थापित किया जावे।

- (2) संबंधित विभागों द्वारा विभागीय बजट में उपरोक्त संशोधनों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त प्रावधान किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(व्ही.एल. कान्ता राव)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

भोपाल, दिनांक 29/08/2016

पृ. क्रमांक: एफ़ 2-2/2016/अ-तेहत्तर  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछडावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
9. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,  
की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग